पश्चिम मध्य रेल जोन/जबलपुर में वितरकों/विनिर्माताओं के पंजीकरण हेतु आवेदन आमंत्रित करने के लिए सूचना:

पश्चिम मध्य रेल का चिकित्सा विभाग आईआरईपीएस (भारतीय रेल ई खरीद प्रणाली) के माध्यम से प्रयोगशाला/लैब सामग्री /रासायनिक पदार्थ, सर्जिकल ड्रेसिंग व इम्प्लांट, सर्जिकल डिस्पोजल व नॉन- डिस्पोजल सामग्री पट्टी एवं टांका लगाने संबंधी सामग्री, सामान्य उपकरण, एक्स-रे हृदय रोग विज्ञान, ईसीजी आदि सामग्री, दंत चिकित्सा, नेफ्रोलॉजी व मूत्र विज्ञान (यूरोलॉजी) सामग्री, ऑपरेशन थियेटर से संबंधित तथा विविध सामग्रियां खरीदता है। इस संबंध में वितरकों/विनिर्माताओं को तीन वर्षो की अवधि के लिए पंजीकरण किया जाता हैं। पश्चिम मध्य रेल के चिकित्सा विभाग उपरोक्त सामग्रियों की आपूर्ति हेतु निविदाओं में आईआरईपीएस के माध्यम से भाग लेने के लिए पंजीकृत फर्मों के पैनल /सूची में उनके (वितरकों/विनिर्माओं) नाम सम्मिलित किये जाने के लिए निम्न दस्तावेज एवं शर्ते अनिवार्य हैं:

01. दवा लाईसेंस संख्या एवं उसकी वैधता

02. विनिर्माताओं से प्राधिकार पत्र

03. विनिर्माताओं के लिए पिछले तीन वर्षों में फर्म का औसत वार्षिक टर्न ओवर रू. 5 करोड़ और अधिक होना चाहिए तथा विपणन फर्मो/एजेंसियों (वितरकों) के लिए उक्त टर्न ओवर रू. 50 लाख और इससे अधिक होना चाहिए तथा एम एस एम ई पंजीयत वितरकों को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्धम मंत्रालय के पत्र दिनांक: 10.03.02016 के अनुसार उक्त टर्न ओवर में छूट दी जा सकती है।

04. फर्म को दोषी नहीं पाया गया हो और दवा एवं प्रशासन अधिनियम तथा नियम के अंतर्गत प्रकरण लंबित न हों।

05. फर्म को तीन (03) वर्षो के लिए पंजीकृत करने हेतु पंजीकरण शुल्क के रूप में फर्म को रू. 5000/- जमा करना जरूरी है। जिसे प्रमुख मुख्य चिकित्सा निदेशक कार्यालय से लिखित पुष्टि प्राप्त होने के बाद ही लिया जाएगा। यह शुल्क मिसलेनियस ई-रिसिप्ट सिस्टम (एम ई आर एस) के माध्यम से लिया जाएगा।

शंका की दशा में, प्रमुख मुख्य चिकित्सा निदेशक के पास विनिर्माण परिसर के निरीक्षण करने का अधिकार होगा। सभी पंजीकृत फर्मों (वितरकों/विनिर्माताओं) को सुचित किया जाता है कि वे क्लास III डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त कर आईआरईपीएस के साथ पंजीकरण करा लें ताकि वे भारतीय रेल ई-खरीद प्रणाली में भाग ले सकें।

06. आवेदक पत्र आवश्यक दस्तावेज के कार्यालय प्रमुख मुख्य चिकित्सा निदेशक, पश्चिम मध्य रेल, महाप्रबंधक कार्यालय, इंदिरा मार्केट, जबलपुर-482001 को भेजा जाए।

07. उपयुक्त विषय से संबंधित किसी प्रकार के पूछताछ के लिए कृपया कार्यालयीन समय में निम्न सेल नं पर संपर्क कर सकते हैं। 91-9752415525, 91-7701082521

08.यह दस्तावेज पश्चिम मध्य रेल के चिकित्सा विभाग के वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

2200133/2024/O/o ACMD/HQ/WCR

पश्चिम मध्य रेल जोन, जबलपुर में वितरकों/निर्माताओं के पंजीकरण हेतु जाँच सूची (दवाइयों के अलावा):

1	पंजीयन के लिये आवेदन	
2	वितरक/विनिर्माता का नाम एवं पूरा पता, डाक, पिनकोड सहित	
3	वितरक/विनिर्माता का फोन एवं फैक्स नं. एसटीडी कोड सहित तथा ई–मेल पता एवं सम्पर्क करने हेतु संबंधित व्यक्ति का नाम।	
4	दवा लाईसेंस संख्या एवं इसकी वैधता	
5	विनिर्माताओं द्वारा दिया गया प्राधिकार पत्र	
6	वितरक/विनिर्माता का पिछले तीन वर्षों का औसत वार्षिक टर्न ओवर (रूपए में)	
7	वितरक/विनिर्माता का पिछले तीन वर्षों का वित्तीय ऑडिट रिपोर्ट/सी.ए. द्वारा जारी प्रमाण पत्र/तीन वर्षों का इन्कम टैक्स रिटर्न	
8	वितरक/विनिर्माता फर्म को दोषी नहीं पाये जाने का पत्र /घोषणा	
9	कार्टेल गठन के संबंध में वचन बद्वता	
10	कार्य निष्पादन प्रमाण पत्र (सरकारी/रेलवे)	
11	उत्पादों की सूची	
12	अधिक मूल्य के खरीद आदेश की प्रतिलिपि (सरकारी/रेलवे) यदि कोई हो	
13	पैन कार्ड की प्रतिलिपि	
14	जीएसटी'–टिन की प्रतिलिपि	